भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1815 का उत्तर

बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थों की अधिक कीमत पर बिक्री

1815. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बल्लारशाह (महाराष्ट्र) रेलवे स्टेशन पर विक्रेताओं द्वारा मुद्रित खुदरा मूल्य से अधिक दर पर खाद्य पदार्थ बेचने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त गतिविधि यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही है और यदि हाँ, तो ऐसे अनधिकृत विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है या उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहे;

(ग) रेलवे स्टेशन पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और दर की नियमित जाँच के लिए क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अप्रभावी रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) यात्रियों को शुद्ध और किफायती भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल का निरंतर प्रयास है कि यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशनों पर अनुमोदित दर सूची के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाला और स्वस्थकर भोजन उपलब्ध कराया जाए। खानपान संबंधी शिकायतों के मामले में जुर्माना लगाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई, परामर्श, चेतावनी आदि सहित त्वरित और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। चालू कैलेंडर

वर्ष के दौरान, बल्लारशाह स्टेशन पर अधिक कीमत वसूलने के 04 मामलों में दोषी लाइसेंसधारकों पर 35,500/- रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

स्टेशनों पर बिकने वाली सभी वस्तुएँ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं। अधिक कीमत न वसूले जाने के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं।

स्टेशनों पर यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- बिलिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्थिर खानपान इकाइयों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की संस्थापना।
- यात्रियों की जागरूकता के लिए खानपान इकाइयों की अनुमोदित दर सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है।
- भोजन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और निगरानी तंत्र के एक भाग के रूप में नियमित रूप से भोजन का नमूना लिया जाता है।
- रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा अनधिकृत वेंडिंग के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाए जाते हैं।
- केवल अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही खाद्य पदार्थों की बिक्री और सेवा सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।
- स्टेशनों पर स्थिर इकाइयों और प्लेटफार्मों पर स्थापित समर्पित सेवा काउंटरों के माध्यम से यात्रियों को किफायती और सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- रेलमदद के माध्यम से यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करना और उसका त्वरित समाधान करना।

******